



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 278 राँची, शुक्रवार,

17 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-4/2017-21283 (HRMS)--श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-लातेहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-707/स्था०, दिनांक 16.12.2016 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप गंभीर होने के कारण विभाग स्तर पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. चतरा अंचल अंतर्गत मौजा कोलाडीह थाना नं०-186 के अंतर्गत निलांचल आयरन एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा क्रय की गई कुल 147.05 एकड़ भूमि में (i) 3.32 एकड़ रैयती खाता (ii) 17.23 एकड़, बकास्त खाता एवं (iii) 126.48 एकड़ गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है। पंजी-11 में उक्त भूमि के विक्रेतागण के नाम से कायम जमाबंदी का कोई वैध आधार नहीं है। फिर भी भूमि की अवैध जमाबंदी के आधार पर आपके द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण किया गया ।

2. चतरा अंचल अंतर्गत मौजा कोलाडीह थाना नं०-186 के 126.48 एकड़ के गैर मजरूआ खास भूमि में 49.83 एकड़ भूमि विभिन्न रैयतों के बीच वर्ष 1988-89 में भूदान बंदोबस्ती की गई है, जबकि 52.10 एकड़ भूमि अधिसूचित वन सीमा के अन्तर्गत हैं, किन्तु पंजी-II में उक्त 126.48 एकड़ गैर मजरूआ खास भूमि की विक्रेतागण के पक्ष में कायम अवैध जमाबंदी के आधार पर आपके द्वारा नामांतरण वाद सं० 1698 दिनांक-11.12.2010 द्वारा स्वीकृति दी गई ।

3. नीलांचल आयरन एण्ड पावर लिमिटेड को उक्त भूमि के विक्रेतागण कौशल्या देवी, पति-शिवशंकर प्रसाद एवं सुखमनी देवी पति-कालीचरण प्रसाद, वृंदावनी देवी पति-रामचन्द्र लाल गुप्ता, सुमित्रा देवी उर्फ सावित्री देवी पति- हीरालाल गुप्ता, मोतीलाल गुप्ता, पंचरतन गुप्ता, पिता-बिन्देश्वर लाल एवं बिन्देश्वर साहु, रामचन्द्र लाल, हीरा लाल पिता-श्याम साहू के नाम से अवैध तरीके से जमाबंदी कायम की गई है ।

4. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1344, दिनांक-13.02.2017, पत्रांक-5595, दिनांक-27.07.2018 एवं पत्रांक-3922, दिनांक-21.05.2019 द्वारा आपको स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया, परन्तु आपके द्वारा निदेश की अवहेलना करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया, जो आपकी स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है ।

5. आपका उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-583(HRMS), दिनांक 29.01.2020 द्वारा श्री तिर्की के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-388, दिनांक 16.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-169, दिनांक 12.01.2022 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी है, जिस पर उनके पत्रांक-3010, दिनांक 05.09.2022 मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य पर असहमति व्यक्त की गई है।

श्री तिर्की के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचान बयान, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा बिन्दु निम्नवत् है-

(i) श्री अजय कुमार तिर्की, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध चतरा अंचल अंतर्गत (i) 3.32 एकड़ रैयती खाता (ii) 17.23 एकड़, बकास्त खाता एवं (iii) 126.48 एकड़ गैर मजरूआ खास खाते की भूमि कुल 147.48 एकड़ भूमि अवैध जमाबंदी के आधार पर नीलांचल आयरन एण्ड पावर लिमिटेड के नाम से दाखिल खारिज करने का आरोप प्रतिवेदित है। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि खतियान एवं पंजी-II को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की होती है। किसी भी प्रकार का गलत इन्द्राज यदि पंजी-II में होता है तो इसकी भी पूर्ण जिम्मेवारी राजस्व कर्मचारी की होती है। विभागीय जाँच

पदाधिकारी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि अंचल अन्तर्गत सभी राजस्व दस्तावेजों को सुरक्षित एवं अद्यतन रखवान अंचल अधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व है। अंचल अन्तर्गत सारे राजस्व कार्य इन्हीं दस्तावेजों यथा- खतियान, पंजी-॥ एवं सर्वे नक्शा के आधार पर निष्पादित होते हैं। इन दस्तावेजों को सुरक्षित एवं अद्यतन न रहने पर कार्य में त्रुटि एवं राजस्व हानि होना स्वभाविक है। समय-समय पर राजस्व कार्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना भी अंचल अधिकारी का दायित्व है। पंजी-॥ में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि के लिए राजस्व कर्मचारी सीधे जिम्मेवार हैं, किन्तु मामला संज्ञान में आने पर अविलम्ब अंचल अधिकारी स्तर से कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(ii) माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड द्वारा .परिवाद सं०-01/लोक/ राजस्व-09 /2015 में दिनांक 05.09.2018 को पारित आदेश, जिसकी प्रति राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी उपायुक्त को प्रेषित है, के आलोक में दाखिल खारिज मामले में अनियमितता हेतु मात्र राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक दोषी होते हैं, आरोपी पदाधिकारी पर जवाबदेही कायम करना उचित प्रतीत नहीं होता है। विभागीय जाँच पदाधिकारी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि किसी भूमि का दाखिल खारिज स्वीकृत एवं अस्वीकृत अंचल अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा इस संबंध में मात्र प्रतिवेदन/अनुशंसा उपलब्ध करायी जाती है। अतः दाखिल खारिज की प्रक्रिया में सभी तथ्यों की जाँच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही अंचल अधिकारी के स्तर से दाखिल खारिज स्वीकृत की जानी है, परन्तु श्री तिर्की द्वारा ऐसा न कर मात्र राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर अवैध जमाबंदी के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण कर दिया गया।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित स्पष्टीकरण एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी के समर्पित प्रतिवेदन में यह तथ्य अंकित है कि किस आधार पर रैयतों के नाम पर जमाबंदी कायम की गई थी, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

विदित हो कि सरकारी भूमि का संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर अविलम्ब अभिलेख खोलकर उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई अंचल अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

(iv) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा भी विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य पर असहमति जतायी गयी है।

उपरोक्त अंकित समीक्षा बिन्दु के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री तिर्की के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1560, दिनांक 15.03.2023 द्वारा श्री तिर्की से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई एवं उनसे द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-3199, दिनांक 02.06.2023 द्वारा स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री तिर्की द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि श्री तिर्की को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने में रुचि नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री अजय कुमार तिर्की, झांप्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अजय कुमार तिर्की, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AJAY KUMAR TIRKI 20080400100	श्री अजय कुमार तिर्की, झांप्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-लातेहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
